APP-A
Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....उकी कंवर .....बनाम.....आरभ खां वगैराह.....

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन, अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. नं. 260 सन 2019

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
	प्रार्थीनी उकी कंवर ओर से वकील श्री सुनिल मेराजा द्वारा यह आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है :– 1. आवेदन पत्र इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। 2. पक्षकारान पूर्ण है। 3. स्टाम्प पूर्ण है। 4. दर्ज योग्य है। 04/07/19 सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर	
04/07/19	वकील प्रार्थीनी के निवेदन पर ईकतरफा बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा आदर्श चुली पटवार हल्का चुली तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 232/90 रकबा 12.00 बीघा प्रार्थीनी की खातेदारी की एवं कब्जासुदा भूमि है। प्रार्थीनी का वक्त खरीद से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। उक्त भूमि प्रार्थनी द्वारा जरिये पंजीबद्ध पहचान पत्र दिनांक 08.03.2013 को पूर्व खातेदार अप्रार्थी आरभ खां पुत्र भीखा खां से क्रय की थी, जिसका कब्जा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को करवा दिया था। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर अप्रार्थीगण, प्रार्थीनी की उक्त क्रयसुदा एवं कब्जासुदा भूमि	

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पर अप्रार्थीगण अविधिक रूप से हस्तक्षेप कर कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। यदि अप्रार्थीगण इसमे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीनी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी की जावे कि वाद के निस्तारण तक उपवर्णित भूमि में प्रार्थीगण किसी प्रकार का बदलाव न करे। कच्चा–पक्का निर्माण न करें। मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीनी वादग्रस्त भूमि की अभिलिखित खातेदार है। अभिलेख में प्रार्थीनी की भूमि खसरा संख्या 232/90 की अलग से तरमीम की गई है। वकील प्रार्थीनी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत यथा नेखमबन्दी करवाये जाने की पालना रिपोर्ट इत्यादी पेश नही की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि पक्षकारान के मध्य सीमा सम्बन्धी कोई विवाद है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अन्तरिम ईकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई उचित कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया।

अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner